(क) उत्तर-पूर्वी जिले में दिल्ली पुलिस के तैनात उन कार्मिकों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; शिकायत कर्ताओं और पुलिस कार्मिकों के थानावार क्रमशः नाम, पदनाम, पते क्या हैं;

(ख) क्या उन पर कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी जिले के पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कुल 143 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 125 मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हुए। शेष 18 मामलों में आवश्यक विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

दिल्ली पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली

967. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किये जाने के समय से अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, नशीले पदार्थ खुले आम बेचे जा रहे हैं और पुलिस हिरासत में काफी लोग मारे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नामों, पतों और संबंधित थानों का ब्यौरा क्या है जो पुलिस हिरासत में मारे गये ;

(ग) क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों को कोई सहायता दी है ; यदि हां तो मृतकों के नाम और पतों सहित ऐसे दी गयी वित्तीय राहत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त व्यक्तियों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; यदि हां; तो संबंधित थानों सहित उनके नाम और पदनाम क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली के लागू होने के बाद से अपराधों में या खुले बाजार में नशीली दवाओं के विक्रय में कोई वृद्धि नहीं हुई है । उन्होंने आगे यह भी सूचित किया है कि 1-7-78 से 31-12-82 तक की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में हुई मौतों के बारे में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। 1-1-83 से 28-2-90 की अवधि के दौरान पुलिस हिरासत में 28 व्यक्ति मारे गये जिनका विवरण संलग्न है । **(नीचे देखें)** इस प्रकार के मामलों में मुआवजा देने के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं है।

विवरण

मृतक व्यक्ति का नाम और पता	थाने का नाम	क्या किसी अधिकारी को दोषी पाया गया
1	2	3
1. राजे उर्फ गंजा पुत्र मनो राम निवासी 20/23 त्रिलोकपुरी, दिल्ली	कल्याणपुरी	एक सहायक निरीक्षक को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया और एक निरीक्षक और हैड कांस्टेबल की निंदा की गयी ।

1	2	3
2. मोहम्मद अनीफ़ पुत्र श्री हाजी अब्दुल गनी, निवासी बस्ती, 4 दाराशम्बा रोड, नई दिल्ली ।	दरियागंज	नहीं
3. जगदीश प्रसाद उर्फ़ जग्गी पुत्र श्री प्रभुदयाल, निवासी 2042 बस्ती जुलाहान, सदर बाजार, दिल्ली ।	सदर बाजार	नहीं
4. राम प्रसाद निवासी के–4 गली नं. 11, ब्रह्मपुरी, शाहदरा दिल्ली, सीलमपुर ।	सीलमपुर	एक उप-निरीक्षक और दो कांस्टेबलों को निलम्बित किया गया क्योंकि मामले का पता नहीं चल सका इसलिए उन्हें बाद में बहाल किया गया ।
5. छोटे लाल पुत्र राम रतन निवासी बी–20, बुद्ध विहार, दिल्ली ।	सुल्तानपुरी	एक सहायक उपनिरीक्षक जिसे उत्तरदायी पाया गया उसे बाद में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया ।
6. ओम प्रकाश पुत्र परसराम निवासी हसो रोड, करनाल ।	मंगोल पुरी	नहीं
1984		
1. सीताराम पुत्र रूप राम निवासी 387डी न्यू सब्जी मण्डी आजादपुर, दिल्ली ।	आदर्श नगर	किसी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया ।
2. भारत भूषण पुत्र आत्माराम निवासी 3/12 नेहरू नगर, नई दिल्ली ।	कालकाजी	–तदैव–
3. राजपाल उर्फ़ बोबी पुत्र कृपा राम, निवासी क्वार्टर सं० 250 रोड नं० 7 एडूयूजमंज, नई दिल्ली ।	बदरपुर	–तदैव–
1985		
1. राज कुमार पुत्र जीवन दास, मकान सं० 1 पोकेट सं० 1, पश्चिम विहार, नई दिल्ली ।	नांगलोई	–तदैव–
2. महेन्द्र सिंह खालसा उर्फ़ मनमोहन सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी 1549/10 भोग प्राण अमृतसर (पंजाब)	पटेल नगर	–तदैव–

1	2	3
3. महेन्द्र पाल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह गली नं० 4 साहिबाबाद अजीत सिंह नगर लुधियाना (पंजाब)	पटेल नगर	—तदैव—
4. जगदीश सिंह पुत्र हवेली सिंह मकान सं० 2 गली नं० 2 गुरु अंगद नगर, शकरपुर दिल्ली ।	पहाड़गंज	—तदैव—
5. राज कुमार पुत्र जसवंत आर-483 मंगोल पुरी, दिल्ली	यमुना पुरी	—तदैव—
1986		
1. दलजीत सिंह पुत्र दोर सिंह निवासी 674 बस्ती पंजाबियान मिल्ट्री रोड, आनंद पर्वत, दिल्ली ।	आनंद पर्वत	कोई पुलिस अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।
2. कंवल सिंह पुत्र काले राम, निवासी श्री होल थाना सदर गुड़गांव (हरियाणा)	नजफगढ़	—तदैव—
3. सूरत सिंह पुत्र जागीर सिंह 760 झील कुरंजा, गांधी नगर, दिल्ली ।	शकरपुर	एक निरीक्षक, एक सहायक उप-निरीक्षक और एक हैड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
4. गोपी राम, 2103/2 सी प्रेम नगर दिल्ली	पटेल नगर	दो उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल गिरफ्तार किये गये ।
5. दयाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी बी-225 झुग्गी नवजीवन कैंप गोविंद-पुरी, कालकाजी, नई दिल्ली ।	श्रीनिवास पुरी	एक उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है ।
1987		
1. महेन्द्र कुमार पुत्र टीका राम निवासी सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली ।	विवेक विहार	कोई पुलिस अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।
1988		
1. रामस्वरूप पुत्र नत्थु, निवासी झुग्गी नजदीक रेलवे स्टेशन, आजादपुर, दिल्ली	इन्द्रपुरी	मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

1	2	3
2. आजाद पुत्र नाथ निवासी मलियाना जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश ।	विवेक विहार	कोई पुलिस अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।
3. आशाराम उर्फ शर्मी निवासी 1/440, त्रिलोकपुरी, दिल्ली	त्रिलोकपुरी	-तदैव-
4. सरदार सिंह पुत्र, शेर सिंह निवासी डब्ल्यू जैड 44/1 कृष्णा पार्क, दिल्ली	तिलक नगर	कोई पुलिस अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।
5. रतनलाल पुत्र रघुवीर सिंह निवासी म्यूनीसिपल मार्किट लोधी कालोनी नई दिल्ली ।	लोधी कालोनी	-तदैव-
1989		
1. विजय कुमार उर्फ मिट्ठन निवासी खोड़ा सीमापुरी, दिल्ली	जैलकम	एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित किया गया ।
2. अनंत फोला निवासी एफ-1/442 सुलतानपुरी, दिल्ली	सुलतानपुरी	निलंबित किये गये एक सहायक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल को बहाल किया किया गया और डिण्डिक लाइन में स्थानान्तरित किया गया ।
3. ओम प्रकाश निवासी गांव खोड़ा जिला गाजियाबाद, उ० प्र०	सीमा कालोनी,	एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित किया गया ।

Relaxation of Restriction on the visits of Foreign Tourists in certain Districts of Bengal

968. SHRI SUNIL BASU RAY: Will tbe Minist** cf HOMb AFFAIRS be pleased to stfte:

(a) whether Govenment are considering to relax the restriction on foreign tourists visiting Dar-.eeling and four other North lengal districts to develop tovrism Bhete;and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMED SAYEED): *(a)* YesSil.

(b) Details ;re being worked out in consultation with the Govern,pent cf Wet Bengal.

सीलमपुर, दिल्ली में असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात (म्यूसेंस) का मचाया जाना

969. **श्री सुनील कुमार पटनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :